Research Unit
Press Information Bureau
Government of India

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025: अधिनियम बनाम विधेयक का अवलोकन

परिचय

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में चुनौतियों का निवारण किया जा सके। प्रस्तावित परिवर्तन का उद्देश्य है:

1. पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता में वृद्धि करना।
2. वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करना।
3. पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार।
4. वक्फ अभिलेखों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना।

मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करना है, जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है।

निरसन का उद्देश्य :

वक्फ अधिनियम, **1995** के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, इस प्रकार इस निरर्थक कानून के अस्तित्व के कारण होने वाली विसंगतियों और अस्पष्टताओं को समाप्त करना है।

प्रमुख मुद्दे:

<u>वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता</u>: "एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ" के सिद्धांत ने विभिन्न विवादों और दावों को जन्म दिया है। जिनमें से कुछ, बेट द्वारका में दो द्वीपों पर दावे की तरह, अदालतों द्वारा हैरान करने वाले माने गए हैं।

<u>मुकदमेबाजी और कुप्रबंधन</u>: वक्फ अधिनियम, 1995 और इसके वर्ष 2013 के संशोधन की अक्षमता के लिये आलोचना की गई है, जिससे अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद और पंजीकरण एवं सर्वेक्षण में देरी जैसे मुद्दे सामने आते हैं। वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व, अधिकार और कब्जे की समस्या पंजीकरण, अधिकरण के कार्य करने के ढंग और संबंधित बड़े पैमाने पर मुकदमों आदि की शिकायतों के संबंध में मंत्रालय को कई मुद्दों से भी अवगत कराया गया है।

<u>कोई न्यायिक निरीक्षण नहीं</u>: न्यायाधिकरण के फैसलों पर कोई न्यायिक निरीक्षण नहीं होता है, जो वक्फ प्रबंधन को और जटिल बनाता है। उच्च न्यायिक निकाय में

अपील करने की संभावना के बिना, ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए निर्णय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर कर सकते हैं।

<u>असंतोषजनक सर्वेक्षण कार्य</u>: सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का कार्य असंतोषजनक पाया गया। यहां तक कि गुजरात और उत्तराखंड राज्य में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अभी शुरू किया जाना है। उत्तर प्रदेश में, सर्वेक्षण का आदेश 2014 में दिया गया था और इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सर्वेक्षण पूरा न होने का प्रमुख मुद्दा सर्वेक्षण कार्य में सर्वेक्षण आयुक्तों की विशेषज्ञता का अभाव है। इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने में राजस्व विभाग के साथ सर्वेक्षण रिपोर्टों के समन्वय के मुद्दे हैं।

<u>प्रावधानों का गलत उपयोग</u>: यह देखा गया कि राज्य वक्फ बोर्डों ने भी अधिनियम के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया है जिससे समुदायों के बीच असामंजस्य और असंतोष पैदा हुआ है। वक्फ संपत्ति को अर्जित करने और वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया था। इससे न केवल भारी संख्या में मुकदमे उत्पन्न हुए हैं बल्कि समुदायों के बीच भी असामंजस्य पैदा हुआ है।

<u>संवैधानिक वैधता</u>: वक्फ अधिनियम देश के केवल एक धर्म की धार्मिक संपत्तियों के लिए एक विशेष अधिनियम है, जब किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा कोई कानून मौजूद

नहीं है। वास्तव में, वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यही प्रश्न पूछा गया है। वक्फ की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की मुख्य विशेषताएं

विशेषताएं	वक्फ अधिनियम, 1995	वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
अधिनियम का नाम	वक्फ अधिनियम, 1995	एकीकृत वक्फ प्रबंधन, अधिकारिता, दक्षता और विकास अधिनियम, 2025
वक्फ का गठन	वक्फ का गठन घोषणा, उपयोगकर्ता या धर्मार्थ दान (वक्फ-अल-औलाद) द्वारा किया जा सकता है।	• केवल घोषणा या धर्मार्थ दान के माध्यम से। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हटा दिया गया है। • दाता को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म पर अमल करने वाला मुसलमान होना चाहिए और संपत्ति का मालिक होना चाहिए।

विशेषताएं	वक्फ अधिनियम, 1995	वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
		• वक्फ-अल-औलाद महिला उत्तराधिकारियों को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते।
वक्फ के रूप में सरकारी संपत्ति	कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं.	वक्फ के रूप में पहचानी जाने वाली कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी। स्वामित्व विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
वक्फ संपत्ति का निर्धारण करने की शक्ति	अधिनियम वक्फ बोर्ड को पूछताछ करने और यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं।	प्रावधान हटा दिया गया।

विशेषताएं	वक्फ अधिनियम, 1995	वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
वक्फ का सर्वे	सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों द्वारा किया गया सर्वेक्षण।	कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।
केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना	• अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों को सलाह देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन करता है। • सभी परिषद सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जिनमें कम से कम दो महिला सदस्य हों।	• विधेयक में प्रावधान है कि दो सदस्य गैर-मुस्लिम होने चाहिए। • सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है। • निम्नलिखित सदस्य मुस्लिम होने चाहिए: मुस्लिम संगठनों के

विशेषताएं	वक्फ अधिनियम, 1995	वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
		प्रतिनिधि, इस्लामी कानून में विद्वान, वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष • मुस्लिम सदस्यों में से दो महिलाएं होनी चाहिए।
वक्फ बोर्डों की संरचना	1. एक्ट में राज्य से बोर्ड में मुस्लिम निर्वाचक मंडल से दो सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है: (i) सांसद, (ii) विधायक और एमएलसी, और (iii) बार काउंसिल के सदस्य। 2. अधिनियम में प्रावधान है कि कम से कम दो सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।	विधेयक राज्य सरकार को प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देता है। उन्हें मुसलमान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड के पास होना चाहिए: • दो गैर-मुस्लिम सदस्य • कम से कम एक सदस्य शिया, सुन्नियों और मुसलमानों के पिछड़े वर्गों से।

विशेषताएं	वक्फ अधिनियम, 1995	वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
		• बोहरा और अगाखानी समुदायों से एक-एक सदस्य (यदि उनके राज्य में वक्फ है) • बिल में कहा गया है कि वक्फ की दो मुस्लिम सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।
ट्रिब्यूनल की संरचना	अधिनियम में राज्यों को वक्फ पर विवादों को हल करने के लिए न्यायाधिकरणों का गठन करने की आवश्यकता है। इन न्यायाधिकरणों का अध्यक्ष क्लास-1, जिला, सेशन, सिविल जज के बराबर रैंक का न्यायाधीश होना अन्य सदस्यों में शामिल हैं:	बिल ट्रिब्यूनल से बाद वाले सदस्यों को हटाता है। इसके बजाय यह सदस्यों के रूप में निम्नलिखित प्रदान करता है: 1. इसके अध्यक्ष के रूप में एक वर्तमान या पूर्व जिला न्यायालय के न्यायाधीश 2. राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का एक वर्तमान या पूर्व अधिकारी।

विशेषताएं	वक्फ अधिनियम, 1995	वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
	1. एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के बराबर एक राज्य अधिकारी, 2. मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का जानकार व्यक्ति।	
ट्रिब्यूनल के आदेशों पर अपील	ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम है और न्यायालयों में इसके निर्णयों के खिलाफ अपील निषिद्ध है। उच्च न्यायालय स्वयं के संज्ञान पर, बोर्ड द्वारा एक आवेदन पर, या एक पीड़ित पक्ष द्वारा, मामलों पर विचार कर सकता है।	बिल ट्रिब्यूनल के फैसलों को अंतिम रूप देने वाले प्रावधानों को हटाता है। ट्रिब्यूनल के आदेशों को 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

विशेषताएं	वक्फ अधिनियम, 1995	वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
केंद्र सरकार की शक्तियां	राज्य सरकार किसी भी समय वक्फों के खातों का ऑडिट करवा सकती है।	• विधेयक केंद्र सरकार को वक्फ बोर्डों के पंजीकरण, खातों के प्रकाशन और वक्फ बोर्डों की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। • बिल केंद्र सरकार को कैग (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) या किसी नामित अधिकारी से इनका ऑडिट कराने का अधिकार देता है।
संप्रदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड	सुन्नी और शिया संप्रदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड यदि शिया वक्फ के पास राज्य में सभी	शिया और सुन्नी संप्रदायों के साथ बोहरा और अगाखानी संप्रदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्डों की अनुमति है।

विशेषताएं	वक्फ अधिनियम, 1995	वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
	वक्फ संपत्तियों या वक्फ आय का 15% से अधिक है।	

वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना

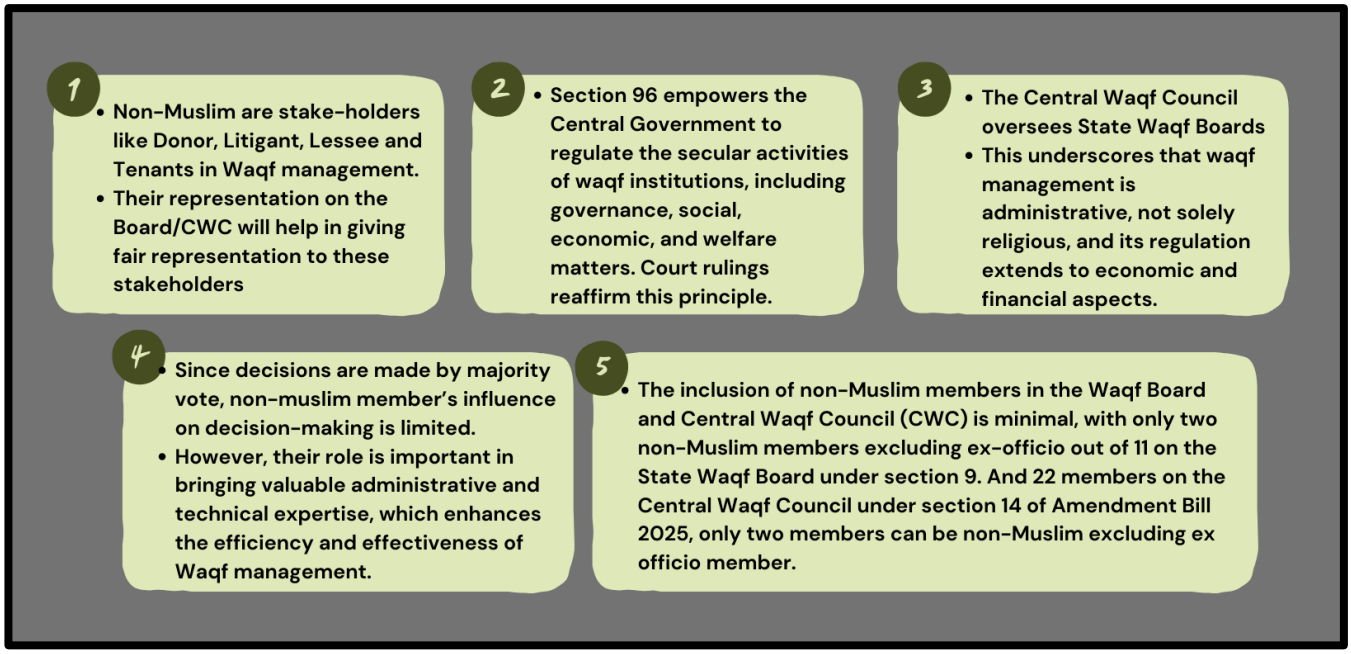

समाहार

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025, भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के शासन, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुधार पेश करता है। मुकदमेबाजी और न्यायिक निरीक्षण की कमी जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करके, विधेयक एक अधिक सुव्यवस्थित और जवाबदेह ढांचा बनाने का प्रयास करता है। प्रमुख परिवर्तनों में वक्फ के गठन को फिर से परिभाषित करना, सर्वेक्षण और

पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना, सरकारी निगरानी को सशक्त बनाना, गैर-मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को वक्फ से संबंधित निकायों में शामिल करके समावेशिता सुनिश्चित करना शामिल है। ये प्रावधान भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Santosh Kumar/ Ritu Kataria/ Kritika Rane